96/16 जिला कलेक्टर

अपील सूचना अधिकार संख्या 96/2016 अनवानी श्याम वर्मा पुत्र श्री बंसीलाल निवासी वार्ड नं. 06 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

10-04-2017

A3

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्याम वर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्याम वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2016 के द्वारा निम्नांकित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से चाही थी:–

Web Copy - Not Official

1. अनिल कुमार पुत्र कृष्ण लाल गोदारा पुत्र जसराम जाति जाट निवासी लाईन पार पंचायम समिति सूरतगढ के पीछे सूरतगढ शहर द्वारा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत समस्त दस्तावेज (शपथ पत्र, राशन कार्ड, आय संबधी ब्यौरा इत्यादि) की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. यह है कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिये क्रेमीलेयर और नॉन क्रेमीलेयर की क्या आय सीमा निर्धारित की हुई है।
3. यह कि झूठा आय संबधी (नॉन क्रेमीलेयर) शपथपत्र प्रस्तुत करने पर कार्यवाही के प्रावधान की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. अनिल कुमार पुत्र कृष्ण लाल गोदारा पुत्र जसराम जाति जाट निवासी लाईन पार पंचायम समिति सूरतगढ के पीछे सूरतगढ शहर द्वारा पीलीबंगा तहसील के पंडिता वाली ग्राम पंचायत के एन डी आर क्षेत्र में व नरसिंहपुरा माझूवासा में कृषि भूमि के दिये ब्यौरा व पिता की ग्रोस सैलरी की भी प्रमाणित प्रतिलिपि।

अतः आपसे निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 से लेकर 4 तक की सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि व अपनी टिप्पणी सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से चाही गई उक्त सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 212 दिनांक 14.06.2016 प्रस्तुत किया है कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 को प्राप्त हुआ है। जिसकी सूचना उनके द्वारा निर्धारित समय अवधि में पत्र सं0 143 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पत्र सं0 143 दिनांक 16.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:–

उपर्युक्त विषयान्तगर्त लेख है कि आप द्वारा चाही गई जानकारी निम्न प्रकार है।

1. आप द्वारा चाही गई अनिल कुमार पुत्र किशनलाल गोदारा जाति जाट निवासी लाईन पार पंचायत समिति सूरतगढ के ओबीसी जाति प्रमाण–पत्र के लिए प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।
2. उक्त सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
3. इस कार्यालय से संबधित नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

96/16

A3/2

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 को प्राप्त होने पर उनके द्वारा पत्र सं0 143 दिनांक 16.05.2016 से उक्तानुसार सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ कार्यालय का संबंधित रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर